



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अग्रोक मार्ग लखनऊ

पत्र सं० 1175-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाका०लि/09-20-काविनी / 87

दिनांक 09 सितम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड छः के पैरा-140 के प्राविधानों के अन्तर्गत पूर्ववर्ती परिषदीय आदेश संख्या 1542-काविनी/राविप-29/97-20-काविनी/87 दिनांक 23.08.97 द्वारा प्रति बीजक फुटक सामग्री के क्रय की पूर्व निर्धारित अधिकतम सीमा रू० 100/- को बढ़ाकर, एतद्वारा, रू० 250/- प्रति बीजक निर्धारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. पूर्ववर्ती परिषदीय आदेश संख्या 1543-काविनी/राविप-29/97-20-काविनी/87 दि० 23.08.97 द्वारा स्थायी अग्रदाय (P.I.) खोले जाने की पूर्व निर्धारित अधिकतम धनराशि की सीमा रू० 500/- को बढ़ाकर, एतद्वारा रू० 1000/- किया जाता है। इस आदेश के निर्गमन से पूर्व सक्षम अधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृत किए गए रू० 1000/- की धनराशि के स्थायी अग्रदाय विनियमित माने जाएंगे।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

सं० 1175-(1) काविनी एवं वे०प्र० - 29 / पाका०लि / 2009 - तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, से सम्बद्ध मुख्य महाप्रबन्धक।
- 2- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- अपर प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ/केस्को, कानपुर/ पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
- 5- समस्त निदेशकगण, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 8- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पा०का०लि०, बी-17, जे० रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
- 9- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 10- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 11- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 12- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ० प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 13- समस्त अधिकारी/अनुभाग उ०प्र० पा०का०लि० (मुख्यालय), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 14- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(मो० राशिद)

उप सचिव (काविनी एवं वे०प्र०)